न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 09 / 2024

प्रार्थी

किस्तुराराम पुत्र कुपाराम जाति कलबी निवासी पायला खुर्द तहसील सिधणरी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. धर्माराम पुत्र जालाराम
2. लाछीदेवी पत्नि विरमाराम जाति जाट निवासी पायला खुर्द
3. इन्द्रकंवर पत्नि बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी पायला खुर्द
4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री पाबूराम बेनीवाल, वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 04 की ओर से उपस्थित।

3.विप्रार्थी संख्या 01 से 2 स्वयं उपस्थित एवं 03 एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 13.08.2024

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 291 क्षेत्रफल 7.4833 हैक्टर ग्राम पायला खुर्द तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 [illegible] रकबा 5.4041 हैक्टयर तथा विप्रार्थी सं. 3 के खसरा नम्बर 456 / 292 र[illegible] 5.63[illegible] हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर [illegible] सड़क तक पहु[illegible] लिए विप्रार्थी स.1 से 3 की उक्त खसरे में से चल रहे कदीमी [illegible] गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 03 बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थी को सडक तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पडता है.और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:25:56 IST
Reason: SelfAttested

सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम पायला खुर्द तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 283/2 व 456/292 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 2 व 3 को सुनवाई हेतु पर्याप्त असवर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जोगराज पोटलिया की तरफ से दिनांक 18.06.2024 को वकालतनामा पेश करने हेतु अंडरटेकिंग ली गई, परन्तु वकालतमाभा मय जवाब पेश करने के लिए पर्याप्ततम अवसर दिए जानें के उपरांत भी निर्धारित पेशी तारीख 27.06.2024 को विप्रार्थी सं. 1 मय अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 04 की ओर से राज. पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 291 क्षेत्रफल 7.4833 हैक्टर ग्राम पायला खुर्द तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 03 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 283/2 व 456/292 भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 03 की उक्त खसरे के साथ–साथ खसरा नम्बर 318 में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 03 बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्ध कर देता है। जिससे प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या हो जाती है और बरसात के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थी संख्या 01 से 03 तथा खसरा नम्बर 318 के खातेदार सताराम कदीमी रास्ते से चलनें से रोक–टोक भी की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त प्रस्तावित रास्ता ही इकलौता विकल्प है,तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे यह कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच की गई और मौका रिपोर्ट में विप्रार्थी सं. 03 द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि से प्रार्थी द्वारा आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि को रास्ते के रूप में कटाण हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर दिया है, तथा विप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा खसरा नम्बर 318 के खातेदार सताराम द्वारा सहमति व्यक्त की है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:25:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी स.1 व 02 तथा खसरा नम्बर 318 के खातेदार सताराम को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

4.विप्रार्थी संख्या 04 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी खेत मौजा पायला खुर्द तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 291 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए बीच खेत खसरा संख्या 283/2 व 456/292 में से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश दिनांक 24.01.2024 के द्वारा तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोर्ट पत्र कमांक 1073/04.07.2024 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा पायला खुर्द की खसरा संख्या 291 में पहुंचनें के लिए खसरा संख्या 283/2, 455/292 व 318 में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेतों में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। विप्रार्थी संख्या 01 व 03 को न्यायालय से जरियें रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी किया गया था। विप्रार्थीगण के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 2 व 3 को सुनवाई हेतु पर्याप्त असवर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जोगराज पोटलिया की तर्फ से दिनांक 18.06.2024 को वकालतनामा पेश करने हेतु अंडरटेकिंग ली गई, परन्तु वकालतनामा मय जवाब पेश करने के लिए पर्याप्तम अवसर दिए जानें के उपरांत भी निर्धारित पेशी तारीख 27.06.2024 को विप्रार्थी सं. 1 मय अधिवक्ता के [illegible] विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 04 की ओर से राज [illegible] तहसीलदार उपस्थित हुए। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थीगण, प्रार्थी द्वारा [illegible] गई इस्तदुआ से भली–भांली जानकार है तथा जानबूझकर प्रकरण [illegible] उपस्थित नहीं हो रहे अथवा प्रार्थी की इस्तदुआ से सहमत है। परन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित है कि प्रस्तावित रास्तें के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता भी नहीं है तथा विप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा खसरा नम्बर 318 के खातेदार सताराम द्वारा अपनी सहमति दी गई है तथा न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:25:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

स्वयं उपस्थित होकर अपनी ओर से तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित अनुसार भूमि रास्ते के रूप में निःशुल्क अथवा बिना किसी प्रतिफल कि अपनी खातेदारी से कम करवाते हुए रास्ते के रूप में कटाण दर्ज करवाने में सहमति व्यक्त की है, जिनकी पहचान की तस्दीक सरपंच ग्राम पंचायत पायला खुर्द द्वारा दी गई। इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 283 में लम्बाई 50 गट्ठा एवं चौड़ाई 03 गट्ठा रकबा 0.0647 हैक्टयर (0.08 बीघा) व खसरा संख्या 318 में लम्बाई 30 गट्ठा एवं चौड़ाई 03 गट्ठा रकबा 0.0404 हैक्टयर (0.05 बीघा) का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर असिंचित सड़क के पास राशि–248254/– रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थी से दिलवाने जाने का प्रावधान है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी रास्ता पाने के हकदार है। परन्तु विप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा खसरा नम्बर 318 के खातेदार सताराम द्वारा निष्फल अर्थात बिना प्रतिफल दिये जाने एवं विप्रार्थी सं. 3 द्वारा पूर्व में ही अपनी खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित भूमि समर्पित की गई है।

6.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पायला खुर्द के खसरा संख्या 283 में लम्बाई 50 गट्ठा एवं चौड़ाई 03 गट्ठा रकबा 0.0647 हैक्टयर (0.08 बीघा) विप्रार्थी संख्या 01 व 02 व खसरा नम्बर 318 में रकबा लम्बाई 30 गट्ठा एवं चौड़ाई 03 गट्ठा रकबा 0. 0404 हैक्टयर (0.05 बीघा) खातेदार सताराम पुत्र जालाराम द्वारा बिना प्रतिफल के तथ्यों हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में बरंग हरा कलर –––दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र क्रमांकःभू.अ./वाद/2024/1073 दिनांक 04.07.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:25:56 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 13.08.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी